

न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 39 / 2013–14

अन्तर्गत धारा—219भ०रा०अधि०

1— दिलेराम पुत्र जीवन, 2.कविसर पुत्र रमला निवासी—ग्राम चन्दपुरी खादर, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1— श्रीमती ओमवती पत्नी धर्मपाल निवासी—ग्राम केहरपुर, परगना मन्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

निगरानी संख्या— 40 / 2013–14

1— दिलेराम पुत्र जीवन, 2.कविसर पुत्र रमला निवासी—ग्राम चन्दपुरी खादर, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1— श्रीमती ओमवती पत्नी धर्मपाल निवासी—ग्राम केहरपुर, परगना मन्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

निगरानी संख्या— 41 / 2013–14

1— दिलेराम पुत्र जीवन, 2.कविसर पुत्र रमला निवासी—ग्राम चन्दपुरी खादर, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1— श्रीमती ओमवती पत्नी धर्मपाल निवासी—ग्राम केहरपुर, परगना मन्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

निगरानी संख्या— 42 / 2013–14

1— दिलेराम पुत्र जीवन, 2.कविसर पुत्र रमला निवासी—ग्राम चन्दपुरी खादर, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1— श्रीमती ओमवती पत्नी धर्मपाल निवासी—ग्राम केहरपुर, परगना मन्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

2— भूमि प्रबन्धन समिति, कंवलपुर द्वारा अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धन समिति, कंवलपुर, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी०एस०जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री रविन्द्र सिंह।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री अतुल अग्रवाल।

निर्णय

ये निगरानियां निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी लक्सर, जनपद हरिद्वार द्वारा अपील संख्या—11 एवं 12 वर्ष 2012 दिलेराम आदि बनाम ओमवती व अपील संख्या—13 एवं 14 वर्ष 2012 श्रीमती ओमवती बनाम दिलेराम आदि अन्तर्गत धारा—210 भ०रा०अधि० मौजा—कंवलपुर, दल्लावाला, चन्दपुरी एवं

दूधला, परगना गोरखनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में पारित आदेश दिनांक 12-03-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

श्रीमती ओमवती पुत्री रामकला पत्नी धर्मपाल निवासी-ग्राम केहरपुर परगना मन्डावर तहसील व जिला बिजनौर ने उसकी माँ द्वारा उसके पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत दिनांक 06-10-1975 के आधार पर तहसीलदार लक्सर के न्यायालय में चार नामान्तरण सूचनाएं दिनांक 22-01-2008 को प्रस्तुत की गई जिनसे निम्न नामान्तरण कार्यवाहियां व्यवहृत हुयीं:-

- 1- नामान्तरण कार्यवाही संख्या-293 / 2007-08 बावत खसरा नम्बर-17 रकबई 1-13-0 पुख्ता मौजा दूधला परगना गोरखनपुर तहसील लक्सर।
- 2- नामान्तरण कार्यवाही संख्या-294 / 2007-08 बावत खसरा नम्बर-12 / 0-13-0, 17 / 2-17-0, 24 / 5-17-0, 42म / 2-0-0, 78म / 0-8-0, 89 / 2-3-0, 98 / 1-1-0, 164म / 1-18-0, 165म / 0-18-0, 166म / 0-5-0, 167म / 1-0-0, कुल क्षेत्रफल-19-5-0 में से भागानुसार व खसरा नम्बर-65 क्षेत्रफल 0.7158 है। मौजा दल्लावाला परगना गोरखनपुर तहसील लक्सर।
- 3- नामान्तरण कार्यवाही संख्या-353 / 2007-08 बावत खसरा नम्बर-64म रकबई 4-3-0 पुख्ता में 1 / 4 भाग मौजा कंवलपुर, परगना गोरखनपुर तहसील लक्सर।
- 4- नामान्तरण कार्यवाही संख्या-354 / 2007-08 बावत खसरा नम्बर-118म रकबई 8-13-0 पुख्ता मौजा चन्दपुरी खादर परगना गोरखनपुर तहसील लक्सर।

उपरोक्त चारों नामान्तरण कार्यवाहियों में नामान्तरण प्रार्थिनी व आपत्तिकर्ताओं को सुनने के उपरान्त विद्वान तहसीलदार, लक्सर ने अपने आदेश दिनांक 24-06-2010 से कार्यवाही संख्या-293 व 354 / 07-08 को निरस्त किया एवं कार्यवाही संख्या-294 व 353 / 07-08 को स्वीकार करते हुए मौजा दल्लावाला व मौजा कंवलपुर स्थित याचित भूमि अन्तर्गत धारा-201 भूराओधि० प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 05-12-2011 से स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 24-06-2010 को निरस्त किया गया और अंततः आदेश दिनांक 25-05-2012 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 24-06-2010 को यथावत रखा गया।

आदेश दिनांक 24-06-2010 से कार्यवाही संख्या-293 व 354 निरस्त किये जाने के विरुद्ध श्रीमती ओमवती द्वारा एवं कार्यवाही संख्या-294 व 353 ओमवती के पक्ष में निर्णीत होने के विरुद्ध दिलेराम द्वारा परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी लक्सर के

न्यायालय में धारा-210 भूराओअधि० के अन्तर्गत दो-दो अपीलें प्रस्तुत की गई। विद्वान परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, लक्सर ने निर्णयादेश दिनांक 12-03-2014 से दिलेराम द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या-11 व 12 को निरस्त किया एवं श्रीमती ओमवती द्वारी प्रस्तुत अपील संख्या-13 व 14 को खीकार करते मूल कार्यवाही संख्या-294/7 से सम्बन्धित मौजा दल्लावाला की खत्तौनी 1413 से 1418 फसली में खाता संख्या-147 पर पूर्व पारित चकबन्दी अधिकारी, मुजफ्फरनगर का आदेश दिनांक 03-07-1991 जिसके द्वारा मु० भोई विधवा रामकला निवासी-चन्दपुरी खादर मृतक का नाम खारिज होकर दिलेराम, रतन पुत्रगण जीवन व कविसर पुत्र रमला बतौर वारिस दर्ज किये गये थे को निरस्त करते हुए मौजा कंवलपुर परगना गोरधनपुर की खत्तौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 खाता संख्या-106 खसरा नम्बर-163 पर नायब तहसीलदार गोरधनपुर द्वारा वाद संख्या-319/30-06-1976 में पारित आदेश जिसके द्वारा मु० भोई विधवा रामकला निवासी चन्दपुरी का नाम खारिज होकर रतन दिला पुत्रगण जीवन निवासी चन्दपुरी का नाम द्वारा विरासत दर्ज किया गया था और रतन की विरासत पर बबलू पुत्र रतन व कली पत्नी स्व० रतन अंकित है को निरस्त करते हुए दोनों ग्रामों दल्लावाला व कंवलपुर परगना गोरधनपुर की भूमि पर वसीयतकत्री मृतक भोई विधवा ग्रामों रामकला का नाम निरस्त कर वसीयत ग्रहीता ओमवती पुत्री रव० रामकला पत्नी धर्मपाल ग्राम कोहरमपुर परगना मन्डावर तहसील व जिला बिजनौर का नाम वसीयत दिनांक 06-10-1975 के आधार पर दर्ज करने के आदेश पारित किये तथा मूल नामान्तरण कार्यवाही संख्या-293/7 मौजा ग्राम दूधला परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर की भूमि खसरा नम्बर-17 रक्बा 1-13-0 बीघा पुख्ता पर दर्ज आदेश एन०टी०बी० कार्यवाही संख्या-317/28-06-1976 रामपाल पुत्र जीवन मृतक का नाम खारिज करके उसके स्थान पर रतन व दिला पुत्रगण जीवन निवासी चन्दपुरी द्वारा विरासत आदेश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्रीमती ओमवती पुत्री रामकला का नाम वसीयत दिनांक 06-10-1975 के आधार पर दर्ज करने के आदेश पारित किये तथा मूल नामान्तरण कार्यवाही संख्या-354/7 आधार पर श्रीमती ओमवती का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इसी आदेश दिनांक 12-03-2014 के विरुद्ध दिलेराम व कविसर द्वारा वर्तमान निगरानियां प्रस्तुत की गई हैं।

निगरानी के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 08-04-2016 की विद्वान अधिवक्ता उत्तरदात्री संख्या-1 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर के न्यायालय में गतिमान परिवाद संख्या-299/2012 राजकुमार बनाम बेद आदि अन्तर्गत धारा-379, 504, 506, 34 आई०पी०सी० में प्रस्तुत समझौतानामा दिनांक 14-03-2016 की प्रमाणित प्रति जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर के न्यायालय से जारी की गई है प्रस्तुत किया गया एवं उसके पश्चात विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विद्वान अधिवक्ता

उत्तरदात्री ने दिनांक 17-08-2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों में न्यायालय से बाहर लिखित समझौता हो चुका है जिसकी प्रति निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है अतः निगरानियों को तदनुसार समझौते के आधार पर समाप्त कर दी जाय।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में एवं अधिवक्ता उत्तरदात्री के प्रार्थना पत्र दिनांक 17-08-2016 के क्रम में स्वतः संज्ञान लेते हुए निगरानी संख्या-39, 40, 41, 42 / 2013-14 दिलेराम आदि बनाम ओमवती आदि को एकीकृत करते हुए निगरानी संख्या-39 / 13-14 को मुख्य पत्रावली बनाते हुए उन्हें अभिलेखों के आधार पर निर्णीत की जा रही है।

यथापूर्व में उल्लिखित निगरानी के स्तर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर के समक्ष उभयपक्ष के मध्य राजीनामा दिनांक 14-03-2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि का भी व्यवस्थापन किया गया है। उत्तरदात्री संख्या-१ ने अधिवक्ता के माध्यम से निगरानीकर्तागण की निरन्तर अनुपस्थिति एवं उक्त राजीनामा के दृष्टिगत उसके विरुद्ध निगरानियां निरस्त करने की प्रार्थना की है।

राजीनामा दिनांक 14-03-2016 में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानियों के सभी सम्बद्ध पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं जो कि धारा-34 (आई०) भू०रा०अधि० के स्पष्टीकरण के अनुसार धारा-34 के प्रयोजनार्थ 'अन्तरण' है के आधार पर उसका विधिक एवं न्यायिक संज्ञान लेकर नये से नामान्तरण की कार्यवाही संचालित किया जाना विधिसम्मत है।

नामान्तरण एवं अपीलीय न्यायालय की पत्रावलियों के परिशीलन से यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान तहसीलदार, लक्सर ने अपने नामान्तरण आदेश दिनांक 24-06-2010 एवं विद्वान परगनाधिकारी, लक्सर ने अपने अपीलीय आदेश दिनांक 12-03-2014 द्वारा चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 03-07-1991 एवं नायब तहसीलदार के आदेश वाद संख्या-319 / 30-06-1976 व वाद संख्या-317 / 28-06-1976 को भी अपास्त किया है जो कि प्रथम दृष्ट्या अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार से परे है क्योंकि जंहा अधीनस्थ न्यायालय चकबन्दी अधिकारी के अपीलीय / निगरानी न्यायालय नहीं है वहीं नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अथवा निगरानी तत्समय अथवा कभी भी नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप नायब तहसीलदार के आदेश अंतिम है जिन्हें धारा-201 भू०रा०अधि० के अन्तर्गत सकारण एवं समुचित आधार पर आवेदन किये जाने पर ही विधिवत उल्टा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। अतः यह औचित्यपूर्ण है कि अपीलीय आदेश दिनांक 12-03-2014 एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 24-06-2010 अपास्त कर मूल नामान्तरण प्रकरण इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाए कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14-03-2016 का विधिवत न्यायिक संज्ञान लेकर नये से नामान्तरण कार्यवाही सम्पन्न कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय।

आदेश

निगरानियों आंशिक रूप से र्हीकार कर अपीलीय आदेश दिनांक 12-03-2014 एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 24-06-2010 अपास्त कर मूल नामान्तरण प्रकरण उपर्युक्त निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के अनुरूप संदर्भित राजीनामा के आधार पर नये सिरे से सम्पादित कर विधिवत निस्तारित किया जाय। सम्बन्धित पक्षकार दिनांक 07-10-2016 को विद्वान तहसीलदार, लक्सर के न्यायालय में उपरिथित हों। अबर न्यायालय की पत्रावलियां इस स्तर पर प्रस्तुत राजीनामा सहित वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 07-09-2016 को खुले न्यायालय में उदघोषित, हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित।

(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।